छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

प्रकरण क्रमांक : SM-PRO-2018-00205

रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ रेरा विरूद्ध चौहान हाउसिंग प्रा.लि. द्वारा श्री अजय चौहान, भिलाई, दुर्ग

प्रोजेक्ट–"चौहान ग्रीन वेली" भिलाई, जिला–दुर्ग (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
19/12/2018	– प्रकरण प्रस्तुत। – अनावेदक की ओर से श्री अजय चौहान स्वयं उपस्थित। – प्रस्तुत प्रकरण में अनावेदक द्वारा छत्तीसगढ़ रेरा की वेबसाईट दर्शाये बगैर, जुनवानी रोड, भिलाई, जिला–दुर्ग (छ.ग.) स्थित रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का दैनिक समाचार पत्र के माध्यम से विज्ञापन/क्रय हेतु ऑफर प्रसारित किया गया था। – इस संबंध में अनावेदक को आहूत कर स्वयं का पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। अनावेदक ने प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होकर लिखित जवाब प्रस्तुत किया। जिसमें अनावेदक ने प्रमुख रूप से कथन किया है कि उनके द्वारा विज्ञापित प्रोजेक्ट "**चौहान ग्रीन वेली**" के साथ–साथ चौहान टाउन, चौहान पार्क व्यू, सिंगापुर लाईफ सिटी एवं ग्रीन वैली का छत्तीसगढ़ रेरा में पंजीयन क्रमांक क्रमशः–PCGRERA250518000014, PCGRERA070618000074 एवं PCGRERA130618000133 के रूप में पंजीकृत है। उनके द्वारा प्रसारित दैनिक समाचार पत्र में माध्यम से प्रोजेक्ट के रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर का उल्लेख किया गया था, किन्तु छत्तीसगढ़ रेरा की वेबसाईट का उल्लेख नहीं किया गया था। अतः अनावेदक ने सद्भाविक त्रुटि के कारण क्षमा याचना की है। – प्रकरण का अवलोकन व परिशीलन किया। प्रकरण में अनावेदक द्वारा दैनिक समाचार पत्र के माध्यम से जिस प्रोजेक्ट का विज्ञापन प्रसारित किया गया था, वह प्रोजेक्ट पूर्व से ही रेरा में पंजीकृत है। प्रकरण की परिस्थितियों से परिलक्षित होता है कि अनावेदक द्वारा की गई त्रुटि सद्भाविक है। अतः अनावेदक को	

छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

प्रकरण कमांक : SM-PRO-2018-00205

रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ रेरा विरूद्ध चौहान हाउसिंग प्रा.लि. द्वारा श्री अजय चौहान, भिलाई, दुर्ग

प्रोजेक्ट–"चौहान ग्रीन वेली" भिलाई, जिला–दुर्ग (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
	भविष्य में किए जाने वाले किसी भी तरह के विज्ञापन में रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर व छत्तीसगढ़ रेरा की वेबसाईट का अनिवार्य रूप से उल्लेख करने तथा अधिनियम के प्रावधानों का किसी भी रूप में उल्लंघन न करने की चेतावनी देते हुए प्रकरण नस्तीबद्ध किया जाता है। – प्रकरण अभिलेखागार भेजा जावे। (राजीव कुमार टम्टा) सदस्य भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण छत्तीसगढ़, रायपुर (विवेक ढाँड) अध्यक्ष भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण छत्तीसगढ़, रायपुर छत्तीसगढ़ भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण ★ रायपुर ★	